25-7-23 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय
बहस सुनी गई। बहस व पत्रावली का
अवलोकन करने पर प्रार्थिया का प्रा० पत्र
स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय
प्रथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
सलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

18 / प्र. पत्र / 2022
दायरा दिनांक 18.03.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री राम कुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

1. प्रेमबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना निवासी ग्राम कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिनी

बनाम

1. मधुबाई पत्नी मोडूलाल जाति मीना निवासी ग्राम बसवाड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. बंशीलाल आ0 तुलसीराम जाति मीना निवासी नीकसरा पोस्ट ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. मदनमोहन आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम भैरूपुरा पोस्ट जोवारपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
4. दिनेश कुमार आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम भैरूपुरा पोस्ट जोवारपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
5. प्रेमबाई बेवा रघुनाथ जाति मीना निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
6. महावीर आ0 गोमदा जाति मीना निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
7. चन्द्रप्रकाश आ0 गोमदा जाति मीना निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
8. किसकन्धा पुत्री रघुनाथ पत्नी बालचन्द जाति मीना निवासी गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
9. सन्तोष बाई पुत्री रघुनाथ पत्नी राजेन्द्र जाति मीना निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
10. ममता बाई पुत्री रघुनाथ पत्नी सीताराम जाति मीना निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
11. रामबिलास आ0 मोत्या जाति मीना निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
12. गिरिराज आ0 मोत्या जाति मीना निवासी ग्राम बसवाड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
13. रामप्रसाद आ0 मोत्या जाति मीना निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
14. गीता बाई पुत्री मोत्या पत्नी श्योजी लाल जाति मीना निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
15. साहबी बाई पुत्री मोत्या पत्नी हंसराज जाति मीना निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
16. रामसिया बाई पुत्री मोत्या पत्नी रामविलास जाति मीना निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
17. सन्तोष बाई पुत्री मोत्या पत्नी महावीर जाति मीना निवासी ग्राम खाखटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

18. छीता बाई पुत्री गोमदा पत्नी रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

19. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अधिवक्ता 1. श्री सुरेश वर्मा (एडवोकेट)

निर्णय **दिनांक :— 25.07.2023**

प्रार्थिया प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 1069 रकबा 0.82 हैक्ट., खसरा नं. 1070 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा नं. 1073 रकबा 1.20 हैक्ट., खसरा नं. 1080 रकबा 0.93 हैक्ट., खसरा नं. 1081 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकबा 3.77 हैक्ट. ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पाली में स्थित है। वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थिया प्रेम बाई का हिस्सा 17/48 व अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 32, अप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा 1/12, अप्रार्थी सं. 3 लगायत 4 की माता हजारी पुत्री गोमदा का हिस्सा 1/32, अप्रार्थी सं. 5 लगायत 10 के पूर्वज मृतक रघुनाथ आ0 गोमदा का हिस्सा 1/32, अप्रार्थी सं. 11 लगायत 17 के पूर्वज मृतक मोत्या का हिस्सा 1/4 एवं अप्रार्थी सं. 18 का हिस्सा 1/32 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के मध्य बाहमी मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त होकर कृषि लाभ प्राप्त करते चले आ रहे हैं। बाहमी बंटवारा अनुसार खसरा संख्या 1070 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा सं. 1069 रकबा 0.82 हैक्ट. पर प्रार्थिया के हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया का हिस्सा 17/48 पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा कर प्रार्थिया को बेदखल करने पर आमादा हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे तो प्रार्थिया को अपूर्णनीय क्षति व रोजी—रोटी का संकट आ जायेगा। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 11 व 13 तथा 12 व 14 लगायत 17 की तरफ से पृथक—पृथक अंडरटेकिंग दी गई। बावजूद तामिल सूचना के प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रार्थिया के विद्यमान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र के अंकित तथ्यों का दोहराव किया और निवेदन किया प्रार्थिया असहाय महिला है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थिया के हिस्से की कृषि भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा कर लेने जिससे प्रार्थिया को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है।

हमारे द्वारा प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को तथा अप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

...ण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं करने से सही मानते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र ...शक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद की अंतिम डिक्री होने तक पाबंद किया जाता है कि प्रार्थिया के बाहमी बंटवारे में हिस्सेनुसार आई कृषि भूमि खसरा संख्या 1070 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा सं. 1069 रकबा 0.82 हैक्ट. ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित भूमि पर काश्त करने में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें न तो स्वयं करें और न ही किसी अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संग्लन मूल–वाद रहे।

निर्णय दिनांक 25.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Vam!

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner